संख्या–वे0आ0–2–1315/दस–59(एम)/2008.

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/समाज कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण/गृह एवं कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/ कृषि/समाज कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

(4) महानिदेशक, कारागार, उत्तर प्रदेश।

**वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2** लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008.

**विषयः**–वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0 ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या– वे0आ0–2–870/दस– 34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–824/दस–34 (एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या– वे0आ0– 2–1313/दस–54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0 ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– शिक्षा विभाग में रु0 2750 के नियत वेतन के उपलब्ध पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित नियत वेतन रु0 7300 निर्धारित किया जायेगा।

4— उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रुप से अनुमन्य होगा, जो समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तो की पूर्ति पर वैयक्तिक रुप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान, अगला वेतनमान अथवा चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

5— शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं ऐसे शैक्षिक पद जिन पर वर्तमान में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू है, को दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत/देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय नहीं रह जायेगा। उक्त श्रेणी के पदधारकों के लिए संशोधित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 (स्त्रोनयन) के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

6— ऐसे शैक्षिक पद जिन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से इतर चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था लागू है, के लिए संशोधित वेतन संरचना में उक्त व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

7— ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

8— वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियॉ लागू होने के फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर देय मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा सामूहिक बीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

9— उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरुप निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से आगे की अवधि में प्रस्तर–8 में उल्लिखित भत्ते एवं सुविधाओं को छोड़कर इनकी धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय धनराशि ही रहेगी।

10— इस शासनादेश द्वारा केवल विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0 ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य विश्वविद्यालयों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11— यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों पर इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी।

भवदीय,

**संलग्नक :** उपरोक्तानुसार।

( अनूप मिश्र )
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—1315(1)/दस—59(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6— वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र।
7— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9— समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ0प्र0।
10— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र।
12— निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी मदरसाज, उ0प्र0, इलहाबाद।
13— समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
14— उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
15— प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
16— प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
17— कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल, इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय),दयालबाग, आगरा—282005
18— रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
19— निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, सुल्तानपुर।
20— निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
21— निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
22— प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
23— प्रधानाचार्य, डी0ए0वी (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
24— प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
25— प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
26— प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
27— प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
28— व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
29— पंडित गोविन्द्र बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
30— संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
31— चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
32— नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
33— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( नरेन्द्र कुमार )
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1315/दस– 59(एम)/2008,
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

| क0 सं0 | वर्तमान वेतनमान (रु0) | पुनरीक्षित वेतन संरचना | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतन बैण्ड का नाम | सादृश्य वेतन बैंड (रु0) | सादृश्य ग्रेड वेतन (रु0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2550–55–2660–60–3200 | –1एस | 4440–7440 | 1300 |
| 2 | 2610–60–3150–65–3540 | –1एस | 4440–7440 | 1400 |
| 3 | 2650–65–3300–70–4000 | –1एस | 4440–7440 | 1650 |
| 4 | 2750–70–3800–75–4400 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 1800 |
| 5 | 3050–75–3950–80–4590 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 1900 |
| 6 | 3200–85–4900 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 2000 |
| 7 | 3200–85–5410 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 2000 |
| 8 | 4000–100–6000 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 2400 |
| 9 | 4250–100–5150–125–6400 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 2800 |
| 10 | 4500–125–7000 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 2800 |
| 11 | 4500–125–7250 | वेतन बैण्ड–1 | 5200–20200 | 2800 |
| 12 | 5000–150–8000 | वेतन बैण्ड–2 | 9300–34800 | 4200 |
| 13 | 5500–175–9000 | वेतन बैण्ड–2 | 9300–34800 | 4200 |
| 14 | 6500–200–10500 | वेतन बैण्ड–2 | 9300–34800 | 4200 |
| 15 | 7450–225–11500 | वेतन बैण्ड–2 | 9300–34800 | 4600 |
| 16 | 7500–250–12000 | वेतन बैण्ड–2 | 9300–34800 | 4800 |
| 17 | 8000–275–13500* | वेतन बैण्ड–2 | 9300–34800 | 5400 |
| 18 | 8000–275–13500** | वेतन बैण्ड–3 | 15600–39100 | 5400 |
| 19 | 8550–275–14600 | वेतन बैण्ड–3 | 15600–39100 | 5400 |
| 20 | 10000–325–15200 | वेतन बैण्ड–3 | 15600–39100 | 6600 |
| 21 | 10650–325–15850 | वेतन बैण्ड–3 | 15600–39100 | 6600 |
| 22 | 12000–375–16500 | वेतन बैण्ड–3 | 15600–39100 | 7600 |

जहॉ इस वेतनमान के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जातें हों अथवा जहॉ यह वेतनमान समयमान वेतनमान/ए.सी.पी. के रुप में देय हो।

जहॉ इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 77 सा० वित्त–10–12–2008–(1577)–10,000 प्रतियां–(कम्प्यू०/आ०)